

**GOVT. OF INDIA,
MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY,
OFFICE OF DEVELOPMENT COMMISSIONER,
SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE,
ANDHERI(E), MUMBAI-400 096**

No. SEEPZ/Admn./461/2015-16 ¹²⁹⁴ Dated: 1.2.2016

CIRCULAR No. 103 / 2016

Sub: MIS Report of issue of various types of Identity Cards for Entry into Private SEZs- reg.

The Specified Officer's have been delegated power to issue of various types of Identity Cards for Entry into Private SEZs under the jurisdiction of Zonal Development Commissioner SEEPZ-SEZ vide Circular No.55/2015 dated 8.7.2015. Further procedure for issue of Identity Card and submission of Report has also been issued vide Public Notice No.13/2015 dated 16.10.2015.

The Competent Authority has decided that Specified Officers shall submit the MIS Report on monthly basis to Zonal Development Commissioner in the following format:

Sl. No.	Name of the Unit/ Developer	Pending application carry forward of previous months	Application received during the month	Application Disposed during the Month	Application Pending	Reason for Pendency

The Specified Officers are hereby requested to ensure timely disposal of application of issue of Identity Cards received from Units/Developer and also submit the MIS Report by 10th of each month in the prescribed format.

This issues with the approval of Development Commissioner, SEEPZ-SEZ


(VP Shukla)

Deputy Development Commissioner,
SEEPZ-SEZ

- (i) All Specified Officers under the jurisdiction of Zonal Development Commissioner, SEEPZ-SEZ.
(ii) DCO
(iii) Website

भारत सरकार
विकास आयुक्त का कार्यालय
सीपूज- विशेष आर्थिक क्षेत्र,
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई- 400096

सं.सीपूज/प्रशासन/461/2015-16 /292

दिनांक: 01.02.2016

परिपत्र संख्या 103 /2016

विषय: प्राइवेट सेजों में प्रवेश के लिए जारी किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पहचान - पत्रों के संबंध में एमआइएस रिपोर्ट।

विनिर्दिष्ट अधाकारियों को दिनांक 08.7.2015 के परिपत्र संख्या 55/2015 द्वारा क्षेत्रीय विकास आयुक्त के अधिकार - क्षेत्र के अधीन आने वाले प्राइवेट सेजों में प्रवेश के लिए विभिन्न प्रकार की पहचान - पत्र जारी करने के संबंध में शक्ति प्रत्यायोजित की गई है। इस संबंध में, दिनांक 16.10.2015 की सार्वजनिक सूचना सं. 13/2015 द्वारा भी पहचान - पत्र तथा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने हेतु क्रियाविधि जारी की गई है।

सक्षम प्राधिकारी ने विनिर्दिष्ट किया है कि विनिर्दिष्ट अधिकारी निम्नलिखित फॉर्मेट में मासिक आधार पर क्षेत्रीय विकास आयुक्त को एमआइएस रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे:-

क्रमांक	यूनिट / विकासक का नाम	पिछले महीने के लंबित आवेदनों का अग्रनयन	महीने के दौरान प्राप्त किए गए आवेदन	महीने के दौरान निपटाए गए आवेदन	लंबित आवेदन	आवेदनों के लंबित रहने का कारण

विनिर्दिष्ट अधिकारियों से एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि वे यूनिटों / विकासकों से प्राप्त होने वाले पहचान-पत्र जारी किए जाने से संबंधित आवेदनों का समय पर निपाटारा किया जाना सुनिश्चित करें तथा निर्धारित फॉर्मेट में प्रत्येक महीने की 10 तारीख तक एमआइएस रिपोर्ट भी भिजवाएं।

यह विकास आयुक्त, सीपूज-सेज के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

निम्न

(विजय प्रकाश शुक्ल)
उप विकास आयुक्त
सीपूज-सेज

- (i) विकास आयुक्त, सीपूज-सेज के अधिकार क्षेत्र के अधीन आनेवाले सभी विनिर्दिष्ट अधिकारी
- (ii) विभागा
- (iii) वेबसाइट